कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, छठा तल, जवाहर भवन, लखनऊ

संख्या–एम0ई0–3/2017/711 लखनऊः दिनांक 03 जुलाई 2017

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (N.E.E.T.) 2017 के ऑनलाईन पंजीकरण के संबंध में आवश्यक सूचना

शासनादेश संख्या–2234/71–2–17–158/2017 दिनांक 03 जुलाई 2017 में निहित निर्देशों के क्रम में NEET-2017 के माध्यम से चयनित छात्रों के शैक्षणिक सत्र 2017–18 में उत्तर प्रदेश राज्य की एम0बी0बी0एस0 एवं बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम की सीटों पर आवंटन के संबंध में छात्रों का विवरण प्राप्त किए जाने तथा स्टेट मेरिट सूची तैयार किये जाने के उद्देश्य से नेशनल इन्फार्मेटिक सेन्टर (एन0आई0सी0) की **वेबसाईट https://upneet.gov.in** पर छात्रों का **ऑनलाईन पंजीकरण दिनांक 05 जुलाई 2017 से 08 जुलाई 2017 तक सम्पन्न किया जाना है।**

NEET-2017 की उत्तर प्रदेश राज्य की एम0बी0बी0एस0 एवं बी0डी0एस0 पाठ्यक्रमो हेतु अर्हताएं, आरक्षण तथा आरक्षित श्रेणी के छात्रों द्वारा अभिलेखों के सत्यापन/प्रवेश के समय प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्रों के प्रारूप से सम्बन्धित विवरण पुस्तिका (Brochure) भी उक्त वेबसाईट पर तत्समय उपलब्ध होगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि **''ऐसे छात्र, जिन्होने NEET 2017 की परीक्षा में प्रतिभाग किया हो तथा उ0प्र0 राज्य की सीटों हेतु उपरोक्त एन0आई0सी0 की वेबसाईट पर निर्धारित आनलाईन व्यवस्था के माध्यम से पंजीकरण किया हो, को ही काउंसिलिंग हेतु अर्ह माना जाएगा। ऑनलाईन पंजीकरण हेतु समस्त छात्रों को पंजीकरण शुल्क रू0 1,000/– (रूपये एक हजार मात्र) ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा।** पंजीकरण के साक्ष्य के रूप में उसका प्रिण्ट आउट अनुमन्य होगा।

निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज/डेण्टल कालेज, अल्पसंख्यक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों की सीटों पर प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना या हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं होगा। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित निजी क्षेत्र के उपरोक्त कालेजों में प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के छात्रों को भी एन0आई0सी0 की वेबसाईट https://upneet.gov.in पर ऑनलाईन पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

महानिदेशक